



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267474
CG-DL-E-08112025-267474

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4856]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 4856]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

का.आ. 5011(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, NH-353C के कि.मी. 57 से कि.मी. 75, कि.मी. 75 से कि.मी. 96.7 और कि.मी. 96.7 से कि.मी. 114.8 तक महाराष्ट्र राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH353C पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपविभागीय अधिकारी, देसाईगंज	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH353C के कि.मी 57 से कि.मी 75 तक	महाराष्ट्र	गडचिरोली	देसाईगंज	1 सावंगी 2 अमगाव 3 वाडेगाव 4 कुरुड 5 कोंडाला 6 देसाईगंज 7 नैनपूर
2	उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-353C के कि.मी 96.7 से कि.मी 114.8 तक	महाराष्ट्र	गडचिरोली	गडचिरोली	1 वसा चक न 1 2 वसा चक न2 3 वसा 4 पोर्ला 5 नगरी 6 मोहझारी पंच 7 काटली चक 8 काटली 9 साखरा 10 गोगाव 11 अदपल्ली 12 गडचिरोली
3	उपविभागीय अधिकारी, देसाईगंज	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-353C के कि.मी 75 से कि.मी 96.7 तक	महाराष्ट्र	गडचिरोली	आरमोरी	1 अरमूरी 2 डोंगरगाव 3 ठाणेगाव 4 देऊळगाव 5 किताली 6 चुरमुरा

[फा. सं. RW/NH-12014/142/2024-MAH/ZONE-IV]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2025

S.O. 5011(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, talukas and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 57 to Km. 75, Km.75 to Km. 96.7 and Km. 96.7 to Km. 114.8 of NH- 353C in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-353C in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Divisional Officer, Desaiganj	NH353C KM 57 TO KM 75	MAHARASHTRA	GADCHIROLI	Desaiganj	1 Sawangi 2 Amgaon 3 Wadegaon 4 Kurud 5 Kondhala 6 Desaiganj 7 Nainpur
2	Sub Divisional Officer, Gadchiroli	NH- 353C KM 96.7 TO KM 114.8	MAHARASHTRA	GADCHIROLI	Gadchiroli	1 Wasa Chack N0.1 2 Wasa Chak No.2 3 Wasa 4 Porla 5 Nagri 6 Mohazhari Patch 7 Katali Chak 8 Katali 9 Sakhara 10 Gogaon 11 Adpalli 12 Gadchiroli
3	Sub Divisional Officer, Desaiganj	NH- 353C KM 75 TO KM 96.7	MAHARASHTRA	GADCHIROLI	Armori	1 Armori 2 Dongargaon 3 Thanegaon 4 Deulgaon 5 Kitali 6 Churmura

[F. No. RW/NH-12014/142/2024-MAH/ZONE-IV]

SHAIKH AMINKHAN, Director